


08.11.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वाद-पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं कि जा रही है वादी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। पत्रावली मे दिनांक 04.03.2020 को कोष्ट पर भी अवसर दिया गया है पत्रावली मे वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

  
सहायक क्लर्क  
एव उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

